

(राजस्थान सरकार)

नीवासी अधिकारी:-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

सुमन देवी II, आर ए एस

राजस्व वाद सं.- 203/2023

जीसीएमएस नम्बर :- 2023/769

1. शेर सिंह पुत्र गुगन जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
- 1/1. प्यारली पत्नी शेरसिंह जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
- 1/2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
- 1/3. सुशीला पुत्री शेरसिंह पत्नी कंवर सिंह जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद कमनिया, तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
- 1/4. प्रेमलता पुत्री शेरसिंह पत्नी लालाराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद कमनिया, तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
- 1/5. राजेश पुत्री शेरसिंह पत्नी भूपसिंह जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
- 1/6. माया पुत्री शेरसिंह पत्नी बलवन्त जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
- 1/7. मंजू पुत्री शेरसिंह पत्नी रामप्रसाद जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....वादीगण

बनाम

1. सुनिता पत्नी स्व0 महाराम जाति अहीर निवासी धोलेड़ा तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
2. सोनू यादव पुत्र महाराम जाति अहीर निवासी धोलेड़ा तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिधाना जरिए शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- खाता विभाजन

-:निर्णय:-

दिनांक:-

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



1. यह कि वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 186 के हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 0.51 हैक्टर, ख0 न0 30 रकबा 0.44 हैक्टर ख0 न0 491 रकबा 0.31 हैक्टर ख0 न0 514 रकबा 0.28 हैक्टर ख0 न0 640/140 रकबा 0.50 हैक्टर ख0 न0 662/293 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 2.37 हैक्टर में वादी का 11/12 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपना अपना दर्ज हिस्सा अनुसार बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक काविज कारत है।
2. यह कि वाद वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादी द्वारा अपना हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य करने, सीमाएं कायम करने ऋण आदि लेने में काफी हक तलाफी/ परेशानी वादी को हो रही है जिस कारण वादी अपनी भूमि में सुधार कार्य नहीं कर पाते हैं जिससे वादी को ऐसी अपूर्वनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
3. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वादी व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खातेदारी की होने वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन के लिए कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को खाता विभाजन नहीं करवाने पर पैदा हुआ है इसलिए दावा अन्दर मियाद है वैसे भी दावा खाता विभाजन के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

- क) कि वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 186 के हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 0.51 हैक्टर, ख0 न0 30 रकबा 0.44 हैक्टर ख0 न0 491 रकबा 0.31 हैक्टर ख0 न0 514 रकबा 0.28 हैक्टर ख0 न0 640/140 रकबा 0.50 हैक्टर ख0 न0 662/293 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 2.37 हैक्टर में वादी का 11/12 हिस्सा का खाता अलग अलग विभाजित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर अलग से कायम किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 03.01.2025 को लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 14 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1524 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया।

बहस के अनुसार, शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम कलाखरी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 186 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका

अधिवक्ता
जिला झुंझुनू (राज.)

कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी रचीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—:आदेश:-

“ न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 186 के हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 0.51 हैक्टर, ख0 न0 30 रकबा 0.44 हैक्टर ख0 न0 491 रकबा 0.31 हैक्टर ख0 न0 514 रकबा 0.28 हैक्टर ख0 न0 640/140 रकबा 0.50 हैक्टर ख0 न0 662/293 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 2.37 हैक्टर भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-3” व नक्शा प्रदर्श “ब-1” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 21.6.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम त और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुझुनू (राज.)

सुमन देवी II, आर.प.एस.

जीसीएमएस नम्बर - 2023/180

वासीन अधिकारी:-
अख्तियार सं.- 203/2023

शेरसिंह बनाम सुनिता आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन

-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के रागका अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज. स्थित भूमि जमाबन्दी सम्बत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 186 के हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 0.51 हैक्टर, ख.0 न.0 30 रकबा 0.44 हैक्टर ख.0 न.0 491 रकबा 0.31 हैक्टर ख.0 न.0 514 रकबा 0.28 हैक्टर ख.0 न.0 640/140 रकबा 0.50 हैक्टर ख.0 न.0 662/293 रकबा 0.33 हैक्टर कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.37 हैक्टर भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब-1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिरसे/खसरा नम्बर के हिरसे में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/6/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनू राज.
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

